"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2015—भाद्र 20, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्रमांक ई-1-03-2015/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. (2000), संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग (संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

श्री एस. एल. रात्रे, भा. प्र. से. द्वारा सचिव, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से सचिव, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ के असंवर्गीय पद का राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005), आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्रमांक ई-1-03-2015/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-08-2015 की कंडिका 10 द्वारा श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. (सीजी : 2011) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-08-2015 की कंडिका 11 द्वारा श्री शिव अनंत तायल, भा.प्र.से. (सीजी : 2012) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्रमांक ई-1-3/2015/एक/2.—छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2015/10/भा.व.से. दिनांक 18-08-2015 द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नवीन नियुक्ति/पदस्थापना वन विभाग के अधीनस्थ की गई है. अतएव इनकी सेवाएं वन विभाग को वापस लौटाई जाती है :—

1. श्री के. सुब्रमणियम (1984), अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, छ.ग. रायपुर
2. श्री पी. सी. पांडेय (1987), सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग तथा गन्ना आयुक्त
3. श्री के. मुरूगन (1987), सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8388/2859/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Chetna Thakur D/o Shri Bhayya Lala Thakur [Category-Unreserved (F) Merit No. 16] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8390/2851/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Sweta Baghel D/o Shri Awadh Bihari [Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 41] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8392/2702/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Bhupesh Kumar Basant S/o Late Shri N. D. Basant (Category-Unreserved Merit No. 15) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8394/2768/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Suman Dhruv D/o Shri Radheshyam Dhruv [Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 31] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8396/2826/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Anil Kumar Chauhan S/o Shri Girwar Lal Chauhan (Category-Scheduled Caste Merit No. 49) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8398/2825/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Praveen Mishra S/o Shri Bhagwan Das Mishra (Category-Unreserved Merit No. 06) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8400/2694/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Seema Kanwar D/o Shri Bhupendra Singh Kanwar [Category-Unreserved (F) Merit No. 17] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8402/2707/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Shanti Prabhu D/o Late Shri Pilu Ram Prabhu [Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 51] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8404/2732/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Bhaskar Mishra S/o Shri Ram Naresh Mishra (Category-Unreserved Merit No. 05) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8406/2769/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Shiv Prakash Tripathi S/o Shri Devi Sahay Tripathi (Category-Unreserved Merit No. 22) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8408/2731/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Deepti Singh Gaur D/o Late Shri Rajkumar Singh Gaur [Category-Unreserved (F) Merit No. 13] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 28th August 2015

No. 8412/2803/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Pallvi Raghuvanshi S/o Shri Ratan Singh Raghuvanshi (Category-Unreserved Merit No. 14) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 23-21/2014/20-3.—छत्तीसगढ़ प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (एक) तथा (दो) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार को सलाह देने के लिये श्री बी. एल. शर्मा, कुलपति सरगुजा विवि., सरगुजा को राज्य शिक्षा स्थाई समिति का अध्यक्ष, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को पदेन उपाध्यक्ष तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को समिति का सदस्य घोषित करती है :—

नियम 3 (2) (1)	श्रेणी विवरण (2)	पदांकित व्यक्ति का नाम एवं पता (3)
(तीन)	दो विख्यात ऐसे लोक व्यक्ति जिन्हें शिक्षा में विशेष रूचि हो.	01. श्री रक्षा सिंह, प्राचार्य, शंकराचार्य शिक्षा महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई. 02. डॉ. व्ही. पी. चंदा, पूर्व कुलपति, पं. रवि शंकर शुक्ल, वि.वि., रायपुर.
(चार)	दो विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक	01. श्री राजकुमार सचदेव, सहायक प्राध्यापक शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर. 02. प्रो. विजय बघेल, प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय, जगदलपुर.
(पांच)	दो शिक्षाविद् जिन्हें प्राथमिक शिक्षा या मिडिल स्कूल शिक्षा में अनुभव हो.	01. डॉ. चितरंजनकर, पूर्व विभागाध्यक्ष, पं. रवि शंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर. 02. डॉ. चंद्रशेखर वजलवार, विभागाध्यक्ष, शिक्षा केन्द्रीय वि.वि. बिलासपुर.
(नौ)	राज्य के शिक्षा महाविद्यालय का एक प्राचार्य.	डॉ. योगेश शिवहरे, प्राचार्य, शास. शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर.
(दस)	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का एक प्रतिनिधि.	श्री प्रकाश यादव, प्राचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, डोंगरगढ़ एवं सदस्य मा.शि.मं.

2. राज्य शिक्षा स्थाई समिति की अवधि, गठन की तारीख से तीन वर्ष की होगी.

3. त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा के कारण स्थायी समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के बीच हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जावेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति समिति की अवधि की शेष कालावधि के लिये पद धारण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 5-9/2015/18.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 25) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगर निगम में आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी तथा नगरपालिका या नगर पंचायत में मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है.

संबंधित अधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 के अध्याय चार के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निष्पादन करेंगे और तद्नुसार राज्य सरकार, नगरपालिक सीमाओं, जिसके भीतर वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निष्पादन करेंगे, को परिभाषित करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 5-9/2015/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/2015/18 दिनांक 12-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th August 2015

No. F 5-9/2015/18.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, appoints the Commissioner or an officer authorized by the Commissioner for this purpose in Municipal Corporation and Chief Municipal Officer or an officer authorized by the Chief Municipal Officer in Municipalities or Nagar Panchayat as Inspector to implement the provisions of the said Act;

The concerned officers shall exercise their powers and functions as per Chapter IV of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 and accordingly the State Government shall define the municipal limits within which they shall exercise such powers and functions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 5-9/2015/18.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 25) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 दिसम्बर, 2016 को, राज्य के शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने की तिथि के रूप में नियत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 5-9/2015/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/2015/18 दिनांक 12-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th August 2015

No. F 5-9/2015/18.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, appoints the 1st December, 2016 as the date for ending the practice of open defecation in urban areas in the State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 5-22/2014/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्र. एफ 5-22/18/2014, दिनांक 20 मई, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की तालिका में,—

1. सरल क्रमांक 2 के कॉलम (3) में, शब्द "साजा" के पश्चात्, विरामचिन्ह एवं शब्द ", अहिवारा, बेरला" अंत:स्थापित किया जाये.

2. सरल क्रमांक 7 के कॉलम (3) में, शब्द "बैकुंठपुर" के पश्चात्, विरामचिन्ह एवं शब्द ", खोंगापानी." अंत:स्थापित किया जाये.

3. सरल क्रमांक 8 के कॉलम (3) में, शब्द "कुनकुरी" के पश्चात्, विरामचिन्ह् एवं शब्द ", सूरजपुर, जरही, भटगांव, प्रतापपुर, सीतापुर, राजपुर, बलरामपुर" अंत:स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 5-22/2014/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-22/2014/18 दिनांक 12-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के, नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th August 2015

No. F 5-22/2014/18.—In exercise of powers conferred by Section 68 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Departmental's Notification No. F. 5-22/18/2014, dated 20th May, 2014 namely :—

AMENDMENT

In Table of the said notification,—

1. In column (3) of serial number 2, after the word "Saja" the punctuation and words ", Ahiwara, Berla" shall be inserted.

2. In column (3) of serial number 7, after the word "Baikunthpur" the punctuation and words ", Khongapani." shall be inserted.

3. In column (3) of serial number 8, after the word "Kunkuri" the punctuation and words ", Surajpur, Jarhi, Bhatgaon, Pratappur, Sitapur, Rajpur, Balrampur." Shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 5-13/आठ-परि./2015.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा-67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए खण्ड (क) से (घ) के प्रावधानों के संबंध में तथा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4733/तक./परि/2011, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को उसमें उल्लिखित किराया को निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करती है :—

निर्देश

नीचे दी गई अनुसूची में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के संविदा वाहन एवं प्रक्रम वाहन के रूप में संचालित नगर वाहनों के किलोमीटर मापित दूरी के लिए प्रभार्य अधिकतम भाड़ा, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उनके सामने तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दर से होगा :—

अनुसूची

स. क्र.	संविदा वाहन का प्रकार (1)	किराया सूची (2)	
		दूरी कि.मी. में	किराये की दर (रुपये में)
1.	वातानुकूलन रहित साधारण बस सेवा के लिए	0-02	05.00
		02-04	06.00
		04-06	07.00
		06-08	09.00
		08-10	10.00
		10-12	12.00
		12-14	13.00

(1)		(2)	
		14-16	14.00
		16-18	15.00
		18-20	17.00
		20-22	18.00
		22-24	19.00
		24-26	20.00
		26-28	22.00
		28-30	24.00
		30-32	25.00
		32-34	26.00
		34-36	27.00
		36-38	28.00
		38-40	30.00
		40-42	32.00
		42-44	33.00
		44-46	34.00
		46-48	35.00
		48-50	36.00
		50 से अधिक	36.00
02.	वातानुकूलित बस सेवा के लिए	दूरी कि.मी. में	किराये की दर (रुपये में)
		0-04	10.00
		04-08	15.00
		08-12	20.00
		12-16	25.00
		16-20	30.00
		20-24	35.00
		24-28	45.00
		28-32	50.00
		32-36	55.00
		36-40	60.00
		40-44	65.00
		44-48	70.00
		48-50	80.00
		50 से अधिक	80.00

No. F-5-13/viii-Trans/2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 67 and having regard to the provisions of clauses (a) to (d) of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of Department Notification No. 4733/तक. /2011, dated 14th October, 2011, the State Government, hereby, issues the following directions to the State Transport Authority and the Regional Transport Authorities in the State, regarding fixing of fares mentioned therein :—

DIRECTIONS

The maximum fare chargeabel to the distance measured in kilometers for the type of Contract Carriage and Stage Carriage of City Buses specified in column (1) of the Schedule below shall be at the rates specified in correspond-

ing entries against them in the column (2) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Type of Contract Carriage (1)	Fare (2)	
		Distance in K.M.	Rate of Fare (in Rupees)
1.	For Non Air-Conditioned Ordinary Bus Service	0-02	05-00
		02-04	06.00
		04-06	07.00
		06-08	09.00
		08-10	10.00
		10-12	12.00
		12-14	13.00
		14-16	14.00
		16-18	15.00
		18-20	17.00
		20-22	18.00
		22-24	19.00
		24-26	20.00
		26-28	22.00
		28-30	24.00
		30-32	25.00
		32-34	26.00
		34-36	27.00
		36-38	28.00
		38-40	30.00
		40-42	32.00
		42-44	33.00
		44-46	34.00
		46-48	35.00
		48-50	36-00
		Above 50	36.00
02.	For Air-Conditioned Bus Service.	Distance in K.M.	Rate of Fare (in Rupees)
		0-04	10.00
		04-08	15.00
		08-12	20.00
		12-16	25.00
		16-20	30.00
		20-24	35.00
		24-28	45.00
		28-32	50.00
		32-36	55.00
		36-40	60.00
		40-44	65.00
		44-48	70.00
		48-50	80.00
		Above 50	80.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक-एफ 7-20/2015/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए डौण्डी निवेश क्षेत्र, जिला बालोद का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

डौण्डी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम खैरवाही, औराटोला, डौण्डी (ग्राम उकारी न.पं. डौण्डी में शामिल) एवं गंगोलीडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम गंगोलीडीह, कांडे एवं अवारी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम अवारी एवं छिंदगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम छिंदगांव, बेलरमोदी उर्फ सल्हाईटोला एवं खैरवाही ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 04 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला महासमुंद के सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक/2328/एफ-8/78/NCIP/2015-16/14-2.—विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (NAIS) अंतर्गत खरीफ 2015 हेतु जारी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 (अधिसूचित जिला, तहसील, रा.नि.मं. एवं प.ह.नं. का विवरण) में आयुक्त, भू-अभिलेख के पत्र क्र./7042/आ.भू.अ./सां./फ.क.प्र./2015-16 दिनांक 27-07-2015 द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के अनुक्रम में निम्नानुसार पटवारी हल्का में एतद्द्वारा संशोधन किया जाता है :—

1. जिला-बालोद, तहसील-बालोद राजस्व निरीक्षक मंडल बालोद में ग्राम-भोईनापार को पटवारी हल्का नंबर 10 के स्थान पर पटवारी हल्का नंबर 11 पढ़ा जावे. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 30).

2. राजनांदगांव जिले के तहसील-छुईखदान, राजस्व निरीक्षक मंडल गंडई में 6 पटवारी हल्का और जोड़े गये हैं. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 37).

3. राजनांदगांव जिले के तहसील-छुईखदान, राजस्व निरीक्षक मंडल छुईखदान में 4 पटवारी हल्का और जोड़े गये हैं. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 37).

4. राजनांदगांव जिले के तहसील-खैरागढ़ में राजस्व निरीक्षक मंडल पाड़ादाह में पूर्व में 18 पटवारी हल्का नंबर थे जो अब 24 पटवारी हल्का हो गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 38).

5. जिला-राजनांदगांव के तहसील-खैरागढ़ राजस्व निरीक्षक मंडल खैरागढ़ में पहले 20 पटवारी हल्का शामिल थे अब 23 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 38).

6. राजनांदगांव जिले के तहसील-डोंगरगढ़ राजस्व निरीक्षक मंडल डोंगरगढ़ में पहले 18 पटवारी हल्का शामिल थे अब 24 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 38).

7. राजनांदगांव जिले के तहसील-डोंगरगढ़ राजस्व निरीक्षक मंडल लालबहादूर नगर में पहले 20 पटवारी हल्का शामिल थे अब 23 पटवारी हल्का शामिल किये गये हैं. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 39).

8. राजनांदगांव जिले के तहसील-राजनांदगांव में राजस्व निरीक्षक मंडल घुमका में पहले 18 पटवारी हल्का शामिल किये गये थे अब 21 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 39).

9. राजनांदगांव जिले के तहसील-राजनांदगांव में राजस्व निरीक्षक मंडल राजनांदगांव-1 में पहले 16 पटवारी हल्का शामिल थे अब 21 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 40).

10. राजनांदगांव जिले के तहसील-राजनांदगांव के राजस्व निरीक्षक मंडल राजनांदगांव-2 में पहले 5 पटवारी हल्का शामिल थे अब 6 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 40).

11. राजनांदगांव जिले के तहसील-डोंगरगांव राजस्व निरीक्षक मंडल तुमड़ीबोड़ में पहले 10 पटवारी हल्का शामिल थे अब 13 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 40)

12. राजनांदगांव जिले के तहसील-डोंगरगांव के राजस्व निरीक्षक मंडल डोंगरगांव में पहले 15 पटवारी हल्का शामिल थे अब 18 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 40 एवं 41).

13. राजनांदगांव जिले के तहसील-छुरिया के राजस्व निरीक्षक मंडल छुरिया में पहले 21 पटवारी हल्का शामिल थे अब 27 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 41).

14. राजनांदगांव जिले के तहसील-छुरिया के राजस्व निरीक्षक मंडल खुज्जी में पहले 21 पटवारी हल्का शामिल थे अब 22 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 41).

15. राजनांदगांव जिले के तहसील-अंबागढ़ चौकी के राजस्व निरीक्षक मंडल अंबागढ़ चौकी में पहले 24 पटवारी हल्का शामिल थे अब 29 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 42).

16. राजनांदगांव जिले के तहसील-मोहला के राजस्व निरीक्षक मंडल मोहला में पहले 20 पटवारी हल्का शामिल थे अब 26 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 42 एवं 43).

17. बिलासपुर जिले के तहसील-कोटा के राजस्व निरीक्षक मंडल कोटा में ग्राम-बानाबेल पटवारी हल्का 16 की दो बार इन्द्राज होने के कारण विलोपित किया गया है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 54).

18. रायगढ़ जिले के तहसील-सारंगढ़ के राजस्व निरीक्षक मंडल हरदी में पहले 13 पटवारी हल्का शामिल थे अब 30 पटवारी हल्का शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 72 एवं 73).

19. रायगढ़ जिले के तहसील-सारंगढ़ के राजस्व निरीक्षक मंडल सारंगढ़ में पटवारी हल्का नंबर 26, 27, 29 एवं 30 जोड़े गये हैं एवं राजस्व निरीक्षक मंडल सारंगढ़ में पटवारी हल्का नंबर 24, 31 से 46 कुल 17 पटवारी हल्का अब राजस्व निरीक्षक मंडल हरदी में शामिल किये गये है. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 73).

20. सुकमा जिले के तहसील-सुकमा के राजस्व निरीक्षक मंडल सुकमा के ग्राम-केरलापाल को पटवारी हल्का नंबर 7 दर्शाया गया था जिसे पटवारी हल्का नंबर 17 पढ़ा जावे. (परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 115).

परिशिष्ट-1 के संबंधित पृष्ठों की उपरोक्तानुसार संशोधित प्रतियां संलग्न है. विभाग के उपरोक्त अधिसूचना की शेष शर्ते यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूँगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			तहसील–गुरूर रा.नि.मं.–गुरूर						
1	अरमरीकला	1	प.ह.नं.–1	–	–	–	–	–	–
2	अरकार	2	प.ह.नं.–2	–	–	–	–	–	–
3	डोटोपार	3	प.ह.नं.–3	–	–	–	–	–	–
4	भिरई	4	प.ह.नं.–4	–	–	–	–	–	–
5	भिरई	5	प.ह.नं.–5	–	–	–	–	–	–
6	मोहारा	6	प.ह.नं.–6	–	–	–	–	–	–
7	कंवर	7	प.ह.नं.–7	–	–	–	–	–	–
8	पेण्डरवानी	8	प.ह.नं.–8	–	–	–	–	–	–
9	गंगोरीपार	9	प.ह.नं.–9	–	–	–	–	–	–
10	बासीन	10	प.ह.नं.–10	–	–	–	–	प.ह.नं.–10	–
11	भोथली	11	प.ह.नं.–11	–	–	–	–	–	–
12	खुंदनी	12	प.ह.नं.–12	–	–	–	–	–	–
13	सरबदा	13	प.ह.नं.–13	–	–	–	–	–	–
14	सुर्रा	17	प.ह.नं.–17	–	–	–	–	–	–
15	अर्जुनी	18	प.ह.नं.–18	–	–	–	–	प.ह.नं.–18	–
16	छेड़िया	19	प.ह.नं.–19	–	–	–	–	–	–
17	बोरतरा	20	प.ह.नं.–20	–	–	–	–	–	–
18	कोलिहामार	22	प.ह.नं.–22	–	–	–	–	–	–
19	दुपचेरा	23	प.ह.नं.–23	–	–	–	–	–	–
20	बोहारडीह	24	प.ह.नं.–24	–	–	–	–	–	–
21	उसरवारा	26	प.ह.नं.–26	–	–	–	–	–	–
22	मिर्रीटोला	27	प.ह.नं.–27	–	–	–	–	–	–
23	कनेरी	29	प.ह.नं.–29	–	–	–	–	–	–
24	दरगहन	30	प.ह.नं.–30	–	–	–	–	–	–
25	मोखा	31	प.ह.नं.–31	–	–	–	–	–	–
26	सोनईडोंगरी	32	प.ह.नं.–32	–	–	–	–	–	–
27	धनोरा	33	प.ह.नं.–33	–	–	–	–	–	–
28	कपरमेटा	34	प.ह.नं.–34	–	–	–	–	–	–
29	धानापुरी	35	प.ह.नं.–35	–	–	प.ह.नं.–35	–	–	–
30	नारागांव	36	प.ह.नं.–36	–	–	प.ह.नं.–36	–	प.ह.नं.–36	–
31	कोचवाही	37	प.ह.नं.–37	–	–	–	–	–	–
			तहसील–बालोद रा.नि.मं.–बालोद						
1	परसदा	1	प.ह.नं.–1	–	–	–	–	–	–
2	दर.नवांगांव	2	प.ह.नं.–2	–	–	–	–	–	–
3	घुमका	3	प.ह.नं.–3	–	–	–	–	–	–
4	तरौद	4	प.ह.नं.–4	–	–	–	–	–	–
5	कोन्हगाटोला	5	प.ह.नं.–5	–	–	–	–	–	–
6	बघमरा	7	प.ह.नं.–7	–	–	–	–	–	–
7	भोथली	8	प.ह.नं.–8	–	–	–	–	–	–
8	नेवारीकला	9	प.ह.नं.–9	–	–	–	–	–	–
9	भोईनापार	11	प.ह.नं.–11	–	–	–	–	–	–

जिला–राजनांदगांव

	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूंगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			तहसील–छुईखदान, रा.नि.मं.–गण्डई						
1	नचनिया	1	प.ह.नं.–1	प.ह.नं.–1	-	-	-	-	-
2	देवपुराघाट	2	प.ह.नं.–2	-	-	-	-	-	-
3	खादी	3	प.ह.नं.–3	-	-	-	-	-	-
4	आमगांव	4	प.ह.नं.–4	-	-	प.ह.नं.–4	-	-	-
5	कोसमर्रा	5	प.ह.नं.–5	प.ह.नं.–5	-	-	-	-	-
6	चोभर	6	प.ह.नं.–6	प.ह.नं.–6	-	-	-	-	-
7	गोलरडीह	7	प.ह.नं.–7	प.ह.नं.–7	-	-	-	-	-
8	मोहगांव	8	प.ह.नं.–8	प.ह.नं.–8	-	-	प.ह.नं.–8	-	-
9	पैलीमेटा	9	प.ह.नं.–9	-	-	प.ह.नं.–9	प.ह.नं.–9	-	-
10	ठाकुरटोला	10	प.ह.नं.–10	-	-	प.ह.नं.–10	प.ह.नं.–10	प.ह.नं.–10	-
11	कटंगी	11	प.ह.नं.–11	-	-	प.ह.नं.–11	प.ह.नं.–11	-	-
12	ढाबा	12	प.ह.नं.–12	-	-	प.ह.नं.–12	प.ह.नं.–12	-	-
13	लीमो	13	प.ह.नं.–13	-	-	प.ह.नं.–13	प.ह.नं.–13	-	-
14	पेंडरवानी	14	प.ह.नं.–14	-	-	प.ह.नं.–14	प.ह.नं.–14	-	-
15	संबलपुर	15	प.ह.नं.–15	-	-	-	प.ह.नं.–15	प.ह.नं.–15	-
16	पर्थरा	16	-	-	-	प.ह.नं.–16	प.ह.नं.–16	प.ह.नं.–16	-
17	गोकना	17	-	-	-	-	प.ह.नं.–17	-	-
18	चकनार	19	प.ह.नं.–19	-	-	-	-	-	-
19	कृतबांस	21	प.ह.नं.–21	-	-	प.ह.नं.–21	प.ह.नं.–21	-	-
20	जीराटोला	22	प.ह.नं.–22	-	-	प.ह.नं.–22	प.ह.नं.–22	-	-
			तहसील–छुईखदान, रा.नि.मं.–छुईखदान						
1	दनिया	23	प.ह.नं.–23	-	-	प.ह.नं.–23	प.ह.नं.–23	-	-
2	जोम	24	प.ह.नं.–24	-	-	प.ह.नं.–24	प.ह.नं.–24	-	-
3	सण्डी	25	प.ह.नं.–25	-	-	प.ह.नं.–25	प.ह.नं.–25	-	-
4	अतरिया	26	प.ह.नं.–26	-	-	प.ह.नं.–26	प.ह.नं.–26	प.ह.नं.–26	-
5	बाईकटोरी	27	प.ह.नं.–27	-	-	प.ह.नं.–27	प.ह.नं.–27	प.ह.नं.–27	-
6	गर्रा	28	प.ह.नं.–28	-	-	-	प.ह.नं.–28	-	-
7	समुंदपानी	29	प.ह.नं.–29	प.ह.नं.–29	-	-	-	-	-
8	बकरकट्टा	30	प.ह.नं.–30	प.ह.नं.–30	-	-	-	-	-
9	अनियाटोला	31	प.ह.नं.–31	-	-	-	प.ह.नं.–31	-	-
10	कोहलाटोला	32	प.ह.नं.–32	प.ह.नं.–32	-	-	प.ह.नं.–32	-	-
11	खुड़मुड़ी	33	प.ह.नं.–33	-	-	प.ह.नं.–33	प.ह.नं.–33	-	-
12	लक्ष्मणपुर	34	प.ह.नं.–34	-	-	-	प.ह.नं.–34	प.ह.नं.–34	-
13	भोरमपुर	36	प.ह.नं.–36	-	-	प.ह.नं.–36	प.ह.नं.–36	-	-
14	साखा	37	प.ह.नं.–37	-	-	-	प.ह.नं.–37	प.ह.नं.–37	-
15	भरदागोड	38	प.ह.नं.–38	-	-	-	प.ह.नं.–38	प.ह.नं.–38	-
16	सूराडबरी	39	प.ह.नं.–39	-	-	-	प.ह.नं.–39	प.ह.नं.–39	-
17	मैन्हर	40	प.ह.नं.–40	-	-	प.ह.नं.–40	प.ह.नं.–40	प.ह.नं.–40	-
18	आमाघाटकादा	41	प.ह.नं.–41	-	-	-	प.ह.नं.–41	-	-
19	उदयपुर	42	प.ह.नं.–42	-	-	प.ह.नं.–42	प.ह.नं.–42	प.ह.नं.–42	-
20	साल्हेकला	43	प.ह.नं.–43	-	-	प.ह.नं.–43	प.ह.नं.–43	-	-
			तहसील–खैरागढ़, राजस्व निरीक्षक मण्डल–पाड़ादाह						
1	गातापार जंगल	1	प.ह.नं.–1	प.ह.नं.–1	-	-	प.ह.नं.–1	-	-
2	देवरी	2	प.ह.नं.–2	-	-	-	प.ह.नं.–2	प.ह.नं.–2	-
3	बैहाटोला	3	प.ह.नं.–3	-	-	-	प.ह.नं.–3	प.ह.नं.–3	-
4	मारूटोला कला	4	प.ह.नं.–4	-	-	-	प.ह.नं.–4	प.ह.नं.–4	-
5	मुहडबरी	5	प.ह.नं.–5	-	-	-	प.ह.नं.–5	प.ह.नं.–5	-
6	आमदनी	6	प.ह.नं.–6	-	-	-	प.ह.नं.–6	प.ह.नं.–6	-
7	भरतपुर	7	प.ह.नं.–7	-	-	प.ह.नं.–7	प.ह.नं.–7	प.ह.नं.–7	-
8	ईटार	8	प.ह.नं.–8	-	-	प.ह.नं.–8	प.ह.नं.–8	प.ह.नं.–8	-
9	बैगाटोला	9	प.ह.नं.–9	-	-	प.ह.नं.–9	प.ह.नं.–9	प.ह.नं.–9	-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूंगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूंग
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	पाड़ादाह	10	प.ह.नं.–10	-	-	प.ह.नं.–10	प.ह.नं.–10	-	-
11	कुम्ही	11	प.ह.नं.–11	-	-	-	प.ह.नं.–11	-	-
12	खम्हारडीह	12	प.ह.नं.–12	-	-	-	प.ह.नं.–12	प.ह.नं.–12	-
13	अचानकपुर नवागांव	13	प.ह.नं.–13	-	-	प.ह.नं.–13	प.ह.नं.–13	प.ह.नं.–13	-
14	गुमानपुर	14	प.ह.नं.–14	-	-	प.ह.नं.–14	प.ह.नं.–14	प.ह.नं.–14	-
15	भंड़ारपुर	15	प.ह.नं.–15	-	-	प.ह.नं.–15	प.ह.नं.–15	-	-
16	उरईडबरी	16	प.ह.नं.–16	-	-	-	प.ह.नं.–16	प.ह.नं.–16	-
17	मदनपुर	17	प.ह.नं.–17	-	-	-	प.ह.नं.–17	प.ह.नं.–17	प.ह.नं.–17
18	गातापार कला	18	प.ह.नं.–18	-	-	प.ह.नं.–18	प.ह.नं.–18	प.ह.नं.–18	-
19	फत्तेपुर	19	प.ह.नं.–19	-	-	-	प.ह.नं.–19	प.ह.नं.–19	-
20	तुलसीपुर	20	प.ह.नं.–20	-	-	-	प.ह.नं.–20	प.ह.नं.–20	-
21	चारभांठा	21	प.ह.नं.–21	-	-	प.ह.नं.–21	प.ह.नं.–21	प.ह.नं.–21	-
22	दामरी	22	प.ह.नं.–22	-	-	-	प.ह.नं.–22	प.ह.नं.–22	-
23	खपरीतेली	23	प.ह.नं.–23	-	-	-	प.ह.नं.–23	प.ह.नं.–23	-
24	कलकसा	24	प.ह.नं.–24	-	-	-	प.ह.नं.–24	-	-
तहसील–खैरागढ़, राजस्व निरीक्षक मण्डल–खैरागढ़									
1	पेण्ड्रीकला	25	प.ह.नं.–25	-	-	-	प.ह.नं.–25	प.ह.नं.–25	-
2	धानीखुंटा	26	प.ह.नं.–26	-	-	-	प.ह.नं.–26	-	-
3	सर्रागोंदी	29	प.ह.नं.–29	-	-	प.ह.नं.–29	प.ह.नं.–29	-	-
4	कांचरी	32	प.ह.नं.–32	-	-	-	प.ह.नं.–32	-	-
5	कातलवाही	33	प.ह.नं.–33	-	-	प.ह.नं.–33	प.ह.नं.–33	-	-
6	कुलीकसा	34	प.ह.नं.–34	-	-	-	प.ह.नं.–34	-	-
7	भुलाटोला	35	प.ह.नं.–35	-	-	-	प.ह.नं.–35	-	-
8	डोकराभाठा	36	प.ह.नं.–36	-	-	-	प.ह.नं.–36	-	-
9	लिमतरा	37	प.ह.नं.–37	-	-	-	प.ह.नं.–37	-	-
10	कौड़िया	38	प.ह.नं.–38	-	-	-	प.ह.नं.–38	प.ह.नं.–38	-
11	सहसपुर	39	प.ह.नं.–39	-	-	-	प.ह.नं.–39	प.ह.नं.–39	-
12	मदराकुही	40	प.ह.नं.–40	-	-	-	प.ह.नं.–40	-	-
13	अवेली	41	प.ह.नं.–41	-	-	प.ह.नं.–41	प.ह.नं.–41	प.ह.नं.–41	-
14	धनगांव	42	प.ह.नं.–42	-	-	प.ह.नं.–42	प.ह.नं.–42	-	-
15	मंडला	43	प.ह.नं.–43	-	-	प.ह.नं.–43	प.ह.नं.–43	-	-
16	अछोली	44	प.ह.नं.–44	-	-	-	प.ह.नं.–44	-	-
17	रगरा	45	प.ह.नं.–45	-	-	-	प.ह.नं.–45	-	-
18	अतरिया	46	प.ह.नं.–46	-	-	-	प.ह.नं.–46	-	-
19	सिंघौरी	47	प.ह.नं.–47	-	-	प.ह.नं.–47	प.ह.नं.–47	-	-
20	बोदागढ़	48	प.ह.नं.–48	-	-	-	प.ह.नं.–48	-	-
21	बिडौरी	49	प.ह.नं.–49	-	-	-	प.ह.नं.–49	-	-
22	रेंगाकठेरा	50	प.ह.नं.–50	-	-	प.ह.नं.–50	प.ह.नं.–50	प.ह.नं.–50	-
23	पवनतरा	51	प.ह.नं.–51	-	-	-	प.ह.नं.–51	-	-
तहसील – डोगरगढ़, रा.नि.मं. – डोगरगढ़									
1	घोटिया	1	प.ह.नं.–1	-	-	-	प.ह.नं.–1	-	-
2	ढारा	2	प.ह.नं.–2	-	-	-	प.ह.नं.–2	-	-
3	कन्हारगांव	3	प.ह.नं.–3	-	-	-	-	-	-
4	देवकट्टा	4	प.ह.नं.–4	-	-	-	प.ह.नं.–4	-	-
5	कालेन्द्रा	5	प.ह.नं.–5	-	-	-	-	-	-
6	ठाकुरटोला	6	प.ह.नं.–6	-	-	प.ह.नं.–6	प.ह.नं.–6	-	-
7	बिजनापुर	7	प.ह.नं.–7	-	-	-	प.ह.नं.–7	-	-
8	चैतुखपरी	8	प.ह.नं.–8	-	-	-	प.ह.नं.–8	-	-
9	पुरैना	9	प.ह.नं.–9	-	-	-	प.ह.नं.–9	-	-
10	सेम्हरा	10	प.ह.नं.–10	-	-	-	-	-	-
11	खैरा	11	प.ह.नं.–11	-	-	-	प.ह.नं.–11	-	-
12	कसारी	12	प.ह.नं.–12	-	-	-	प.ह.नं.–12	-	-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूंगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूंग
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	रूआकला	13	प.ह.नं.–13	-	-	प.ह.नं.–13	प.ह.नं.–13	-	-
14	पलान्दु	14	प.ह.नं.–14	-	-	-	प.ह.नं.–14	-	-
15	बड़ेकुसमी	15	प.ह.नं.–15	-	-	प.ह.नं.–15	प.ह.नं.–15	-	-
16	कातलवाही	16	प.ह.नं.–16	-	-	-	प.ह.नं.–16	-	-
17	रेंगाकठेरा	17	प.ह.नं.–17	-	-	-	प.ह.नं.–17	-	-
18	पाऱागांवखुर्द	18	प.ह.नं.–18	-	-	-	प.ह.नं.–18	-	-
19	आलीवारा	19	प.ह.नं.–19	-	-	प.ह.नं.–19	प.ह.नं.–19	-	-
20	जटकन्हार	20	प.ह.नं.–20	-	-	-	-	-	-
21	अछोली	22	प.ह.नं.–22	-	-	-	-	-	-
22	भैंसरा	23	प.ह.नं.–23	-	-	-	-	-	-
23	बछेराभांठा	24	प.ह.नं.–24	-	-	-	-	-	-
	तहसील – डोगरगढ़, रा.नि.मं. – लालबहादुर नगर								
1	बरनाराकला	25	प.ह.नं.–25	-	-	-	-	-	-
2	पीपरखारकला	26	प.ह.नं.–26	-	-	-	-	-	-
3	बागनदी	27	प.ह.नं.–27	-	-	-	प.ह.नं.–27	-	-
4	कोठीटोला	28	प.ह.नं.–28	-	-	-	-	-	-
5	कारूटोला	29	प.ह.नं.–29	-	-	-	-	-	-
6	चारभांठा	30	प.ह.नं.–30	-	-	-	-	-	-
7	बागरेकसा	31	प.ह.नं.–31	-	-	-	-	-	-
8	मड़ियान	32	प.ह.नं.–32	-	-	-	-	-	-
9	झिंझारी	33	प.ह.नं.–33	-	-	-	प.ह.नं.–33	-	-
10	नारायणगढ़	34	प.ह.नं.–34	-	-	-	-	-	-
11	लालबहादुर नगर	35	प.ह.नं.–35	-	-	-	-	-	-
12	सेंदरी	36	प.ह.नं.–36	-	-	-	-	-	-
13	चिद्दो	37	प.ह.नं.–37	-	-	-	-	-	-
14	गाजमर्रा	39	प.ह.नं.–39	-	-	-	प.ह.नं.–39	-	-
15	भोथली	40	प.ह.नं.–40	-	-	-	-	-	-
16	बिच्छीटोला	41	प.ह.नं.–41	-	-	-	-	-	-
17	धनडोंगरी	42	प.ह.नं.–42	-	-	-	-	-	-
18	झण्डातालाब	43	प.ह.नं.–43	-	-	प.ह.नं.–43	प.ह.नं.–43	-	-
19	पिनकापार	44	प.ह.नं.–44	-	-	प.ह.नं.–44	प.ह.नं.–44	-	-
20	पिपरिया	45	प.ह.नं.–45	-	-	-	प.ह.नं.–45	-	-
21	मुड़पार	46	प.ह.नं.–46	-	-	प.ह.नं.–46	प.ह.नं.–46	-	-
22	कोलिहापुरी (नवा)	47	प.ह.नं.–47	-	-	-	प.ह.नं.–47	-	-
23	अमलीडीह	48	प.ह.नं.–48	-	-	-	प.ह.नं.–48	-	-
	तहसील राजनांदगॉव, रा.नि.मं.–घुमका								
1	मासुल	1	प.ह.नं.–1	-	-	-	प.ह.नं.–1	-	-
2	भैसातरा	2	प.ह.नं.–2	-	-	प.ह.नं.–2	प.ह.नं.–2	-	-
3	सहसपुर दल्ली	3	प.ह.नं.–3	-	-	प.ह.नं.–3	प.ह.नं.–3	-	-
4	नागलदाह	4	प.ह.नं.–4	-	-	प.ह.नं.–4	प.ह.नं.–4	-	-
5	बोटेपार	5	प.ह.नं.–5	-	-	प.ह.नं.–5	प.ह.नं.–5	-	-
6	घुमका	6	प.ह.नं.–6	-	-	प.ह.नं.–6	प.ह.नं.–6	-	-
7	औरदा	7	प.ह.नं.–7	-	-	प.ह.नं.–7	प.ह.नं.–7	-	-
8	ईरइखुर्द	8	प.ह.नं.–8	-	-	-	प.ह.नं.–8	-	-
9	बीजेतला	9	प.ह.नं.–9	-	-	-	प.ह.नं.–9	-	-
10	मुरमुन्दा	10	प.ह.नं.–10	-	-	प.ह.नं.–10	प.ह.नं.–10	-	-
11	भदेरानवागांव	11	प.ह.नं.–11	-	-	प.ह.नं.–11	प.ह.नं.–11	-	-
12	हरडुआ	12	प.ह.नं.–12	-	-	-	प.ह.नं.–12	-	-
13	उपरवाह	13	प.ह.नं.–13	-	-	-	-	-	-
14	बरबसपुर	14	प.ह.नं.–14	-	-	-	प.ह.नं.–14	-	-
15	डुमरडीहखुर्द	15	प.ह.नं.–15	-	-	-	-	-	-
16	खैरझिटी	16	प.ह.नं.–16	-	-	-	-	-	-
17	पदुमतरा	17	प.ह.नं.–17	-	-	प.ह.नं.–17	प.ह.नं.–17	-	-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूंगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूंग
,	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	डुमरडीहकला	18	प.ह.नं.–18	-	-	प.ह.नं.–18	प.ह.नं.–18	-	-
19	तुमडीलेवा	22	प.ह.नं.–22	-	-	-	-	-	-
20	मुड़ीपार	23	प.ह.नं.–23	-	-	-	-	-	-
21	मनगट्टा	24	प.ह.नं.–24	-	-	-	-	-	-
	तहसील राजनांदगॉव, राजनांदगांव–1								
1	रेंगाकठेरा	19	प.ह.नं.–19	-	-	-	प.ह.नं.–19	-	-
2	कांकेतरा	20	प.ह.नं.–20	-	-	-	प.ह.नं.–20	-	-
3	तिलई	21	प.ह.नं.–21	-	-	-	प.ह.नं.–21	-	-
4	देवादा	26	प.ह.नं.–26	-	-	-	-	-	-
5	सांकरा	29	प.ह.नं.–29	-	-	-	-	-	-
6	सोमनी	30	प.ह.नं.–30	-	-	-	-	-	-
7	कुटेरी	31	प.ह.नं.–31	-	-	-	-	-	-
8	भेड़ीकला	35	प.ह.नं.–35	-	-	-	-	-	-
9	डीलापहरी	36	प.ह.नं.–36	-	-	-	प.ह.नं.–36	-	-
10	भरमापुर	37	प.ह.नं.–37	-	-	-	प.ह.नं.–37	-	-
11	सुकुलदेहान	38	प.ह.नं.–38	-	-	-	प.ह.नं.–38	-	-
12	इन्दामरा	39	प.ह.नं.–39	-	-	-	प.ह.नं.–39	-	-
13	बरगा	40	प.ह.नं.–40	-	-	-	-	-	-
14	भंवरमरा	56	प.ह.नं.–56	-	-	-	-	-	-
15	महाराजपुर	57	प.ह.नं.–57	-	-	-	-	-	-
16	मुड़पार	58	प.ह.नं.–58	-	-	-	-	-	-
17	धामनसरा	59	प.ह.नं.–59	-	-	-	-	-	-
18	जंगलेसर	60	प.ह.नं.–60	-	-	-	-	-	-
19	पारीखुर्द	61	प.ह.नं.–61	-	-	-	-	-	-
20	आरला	62	प.ह.नं.–62	-	-	-	-	-	-
21	कुम्हालोरी	63	प.ह.नं.–63	-	-	-	प.ह.नं.–63	-	-
	तहसील राजनांदगॉव, राजनांदगांव–2								
1	कोपेडीह	25	प.ह.नं.–25	-	-	-	-	-	-
2	फुलझर	27	प.ह.नं.–27	-	-	-	-	-	-
3	नवागांव	28	प.ह.नं.–28	-	-	-	-	-	-
4	तोरनकट्टा	32	प.ह.नं.–32	-	-	-	-	-	-
5	अचा.भाटापारा	33	प.ह.नं.–33	-	-	-	प.ह.नं.–33	-	-
6	पारीकला	34	प.ह.नं.–34	-	-	-	-	-	-
	तहसील–डोंगरगांव रा.नि.मं.–तुमड़ीबोड़								
1	कन्हारडबरी	1	प.ह.नं.–1	-	-	-	प.ह.नं.–1	-	-
2	खपरीकला	2	प.ह.नं.–2	-	-	-	प.ह.नं.–2	-	-
3	आरगांव	3	प.ह.नं.–3	-	-	-	-	-	-
4	कोपेडीह	4	प.ह.नं.–4	-	-	-	प.ह.नं.–4	-	-
5	बनहरदी	5	प.ह.नं.–5	-	-	-	-	-	-
6	जंगलपुर	6	प.ह.नं.–6	-	-	-	-	-	-
7	दीवानझिटिया	7	प.ह.नं.–7	-	-	-	-	-	-
8	कोहका	8	प.ह.नं.–8	-	-	-	-	प.ह.नं.–8	-
9	जारवाही	9	प.ह.नं.–9	-	-	-	-	-	-
10	टप्पा	10	प.ह.नं.–10	-	-	-	प.ह.नं.–10	-	-
11	मारगांव	11	प.ह.नं.–11	-	-	-	-	-	-
12	तेन्दूनाला	12	प.ह.नं.–12	-	-	-	प.ह.नं.–12	प.ह.नं.–12	-
13	खमेरा	15	प.ह.नं.–15	-	-	-	-	-	-
	तहसील–डोंगरगांव रा.नि.मं.–डोंगरगांव								
1	सांगीनकछार	13	प.ह.नं.–13	-	-	-	प.ह.नं.–13	प.ह.नं.–13	प.ह.नं.–13
2	कोकपुर	14	प.ह.नं.–14	-	-	-	-	-	-
3	मनेरी	16	प.ह.नं.–16	-	-	-	-	-	-
4	कोनारी	17	प.ह.नं.–17	-	-	-	-	-	-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूंगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूंग
.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	अमलीडीह	18	प.ह.नं.–18	-	-	-	-	-	-
6	बगदेई	19	प.ह.नं.–19	-	-	-	-	-	-
7	माथलडबरी	21	प.ह.नं.–21	-	-	-	-	-	-
8	दर्री	22	प.ह.नं.–22	-	-	-	-	-	-
9	करेठी	23	प.ह.नं.–23	-	-	-	-	-	-
10	खुर्सीपार	24	प.ह.नं.–24	-	-	-	-	-	-
11	किरगी	25	प.ह.नं.–25	-	-	-	-	-	-
12	रूदगांव	26	प.ह.नं.–26	-	-	-	-	-	-
13	सालिकझिटिया	27	प.ह.नं.–27	-	-	-	-	-	-
14	धौराभाठा	28	प.ह.नं.–28	-	-	-	-	-	-
15	कोटरासरार	29	प.ह.नं.–29	-	-	-	-	-	-
16	छुईखदान	30	प.ह.नं.–30	-	-	-	-	-	-
17	मोखली	31	प.ह.नं.–31	-	-	-	-	-	-
18	कु.भाठागांव	32	प.ह.नं.–32	-	-	-	-	-	-
तहसील–छुरिया रा.नि.मं.–छुरिया									
1	महाराजपुर	1	प.ह.नं.–1	-	-	-	प.ह.नं.–1	-	-
2	नागरकोहरा	2	प.ह.नं.–2	-	-	-	प.ह.नं.–2	-	-
3	लालूटोला	3	प.ह.नं.–3	-	-	प.ह.नं.–3	-	-	-
4	पिनकापार	4	प.ह.नं.–4	-	-	-	-	-	-
5	घोघरे	5	प.ह.नं.–5	-	-	-	-	-	-
6	झिथराटोला	7	प.ह.नं.–7	-	-	-	प.ह.नं.–7	-	-
7	शिकारीमहका	8	प.ह.नं.–8	-	-	प.ह.नं.–8	प.ह.नं.–8	-	-
8	भोलापुर	9	प.ह.नं.–9	-	-	-	-	-	-
9	हैदलकोड़ो	10	प.ह.नं.–10	-	-	-	-	-	-
10	घुपसाल	11	प.ह.नं.–11	-	-	-	-	-	-
11	गोपालपुर	12	प.ह.नं.–12	-	-	-	-	-	-
12	खोभा	13	प.ह.नं.–13	-	-	-	-	-	-
13	सड़क चिरचारी	14	प.ह.नं.–14	-	-	-	-	-	-
14	तेलिनबांधा	15	प.ह.नं.–15	-	-	-	-	-	-
15	पंडरापानी	16	प.ह.नं.–16	-	-	-	-	-	-
16	नांदियाखुर्द	17	प.ह.नं.–17	-	-	-	-	-	-
17	आमगांव	18	प.ह.नं.–18	-	-	-	-	-	-
18	बम्हनीचारभाठा	19	प.ह.नं.–19	-	-	-	-	-	-
19	धरमूटोला	20	प.ह.नं.–20	-	-	प.ह.नं.–20	-	-	-
20	बेलरगोंदी	21	प.ह.नं.–21	-	-	प.ह.नं.–21	प.ह.नं.–21	-	-
21	साल्हेटोला	22	प.ह.नं.–22	-	-	प.ह.नं.–22	-	-	-
22	गेन्दाटोला	23	प.ह.नं.–23	-	-	-	-	-	-
23	मेटेपार	24	प.ह.नं.–24	-	-	-	-	-	-
24	कल्लूबंजारी	25	प.ह.नं.–25	-	-	-	-	-	-
25	दामाबंजारी	26	प.ह.नं.–26	-	-	-	-	-	-
26	कुहीकला	27	प.ह.नं.–27	-	-	-	-	-	-
27	आलीवारा	28	प.ह.नं.–28	-	-	-	-	प.ह.नं.–28	-
तहसील–छुरिया रा.नि.मं.–खुज्जी									
1	जोशीलमती	29	प.ह.नं.–29	-	-	-	-	-	-
2	केशाल	30	प.ह.नं.–30	-	-	-	-	-	-
3	चिरचारीकला	31	प.ह.नं.–31	-	-	-	-	-	-
4	मुंजालपथरी	32	प.ह.नं.–32	-	-	-	-	-	-
5	बिटाल	33	प.ह.नं.–33	-	-	-	-	-	-
6	आतरगांव	34	प.ह.नं.–34	-	-	-	-	-	-
7	चिरचारीखुर्द	35	प.ह.नं.–35	-	-	-	-	-	-
8	आमगांव कु.	36	प.ह.नं.–36	-	-	-	-	-	-
9	सागर	37	प.ह.नं.–37	-	-	-	-	-	-
10	घुपसाल	38	प.ह.नं.–38	-	-	-	-	-	-
11	चारभाठा कु.	39	प.ह.नं.–39	-	-	-	-	-	-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूंगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	धनगांव	40	प.ह.नं.–40	-	-	-	-	-	-
13	भंडारीभरदा	41	प.ह.नं.–41	प.ह.नं.–41	-	-	-	-	-
14	पांगरीखुर्द	42	प.ह.नं.–42	-	-	-	-	-	-
15	गिदर्री	43	प.ह.नं.–43	-	-	-	-	-	-
16	कलडबरी	44	प.ह.नं.–44	-	-	-	-	-	-
17	रतनभाट	45	प.ह.नं.–45	-	-	-	-	-	-
18	मटिया	46	प.ह.नं.–46	-	-	-	-	-	-
19	बरबसपुर	47	प.ह.नं.–47	-	-	-	-	-	-
20	उमरवाही	48	प.ह.नं.–48	-	-	-	-	-	-
21	चिखलाकसा	49	प.ह.नं.–49	-	-	-	-	-	-
22	गोडलवाही	50	प.ह.नं.–50	-	-	-	-	-	-
तहसील अम्बागढ़ चौकी रा.नि.मं.–अम्बागढ चौकी									
1	ओटेबांधा	1	प.ह.नं.–1	-	-	-	-	प.ह.नं.–1	-
2	कोरचाटोला	2	प.ह.नं.–2	-	-	-	-	-	-
3	मुड़पार	3	प.ह.नं.–3	-	-	-	-	-	-
4	मिरचे	4	प.ह.नं.–4	-	-	-	-	-	-
5	चिल्हाटी	5	प.ह.नं.–5	-	-	-	-	-	-
6	रेंगाकठेरा	6	प.ह.नं.–6	-	-	-	-	-	-
7	रैनूटोला	7	प.ह.नं.–7	-	-	-	-	-	-
8	आमाटोला	8	प.ह.नं.–8	-	-	-	-	-	-
9	डोंगरगांव	9	प.ह.नं.–9	-	-	-	-	-	-
10	खड़खड़ी	10	प.ह.नं.–10	-	-	-	-	-	-
11	गौलीटोला	11	प.ह.नं.–11	-	-	-	-	-	-
12	केकतीटोला	13	प.ह.नं.–13	-	-	-	-	-	-
13	चिखली	14	प.ह.नं.–14	-	-	-	-	-	-
14	जादूटोला	15	प.ह.नं.–15	-	-	-	-	-	-
15	ढाढूटोला	16	प.ह.नं.–16	-	-	-	-	-	-
16	कोटरा	17	प.ह.नं.–17	-	-	-	-	-	-
17	भर्रीटोला	18	प.ह.नं.–18	-	-	-	-	-	-
18	दाऊटोला	19	प.ह.नं.–19	-	-	-	-	-	-
19	छछानपाहरी	20	प.ह.नं.–20	-	-	-	-	-	-
20	आतरगांव	21	प.ह.नं.–21	-	-	-	-	-	-
21	केशरीटोला	22	प.ह.नं.–22	-	-	-	-	-	-
22	आड़ेझर	23	प.ह.नं.–23	-	-	-	-	-	-
23	कुम्हली	24	प.ह.नं.–24	-	-	-	-	-	-
24	कौड़ीकसा	25	प.ह.नं.–25	-	-	-	-	-	-
25	भर्रीटोला	26	प.ह.नं.–26	-	-	-	-	-	-
26	पीपरखार	27	प.ह.नं.–27	-	-	-	-	-	-
27	दोड़के	28	प.ह.नं.–28	-	-	-	-	-	-
28	अरजकुण्ड	29	प.ह.नं.–29	-	-	-	-	-	-
29	देवरसूर	30	प.ह.नं.–30	-	-	-	-	प.ह.नं.–30	-
तहसील–मोहला रा.नि.मं.–मोहला									
1	पाटनवाड़वी	1	प.ह.नं.–1	-	-	-	-	-	-
2	वासड़ी	2	प.ह.नं.–2	-	-	-	-	-	-
3	सांगली	3	प.ह.नं.–3	-	-	-	-	-	-
4	भोजटोला	4	प.ह.नं.–4	-	-	-	-	-	-
5	मंडावीटोला	5	प.ह.नं.–5	प.ह.नं.–5	-	-	-	-	-
6	पेंदाकोड़ो	6	प.ह.नं.–6	-	-	प.ह.नं.–6	-	प.ह.नं.–6	-
7	कुंजामटोला	7	प.ह.नं.–7	-	-	प.ह.नं.–7	-	-	-
8	कनेरी	8	प.ह.नं.–8	प.ह.नं.–8	-	प.ह.नं.–8	-	-	-
9	कंदाड़ी	9	प.ह.नं.–9	प.ह.नं.–9	-	-	-	-	-
10	कोर्रामटोला	10	प.ह.नं.–10	-	-	प.ह.नं.–10	-	-	-
11	कोहड़ापार	11	प.ह.नं.–11	-	-	प.ह.नं.–11	-	प.ह.नं.–11	-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूंगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूंग
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	मोहला	12	प.ह.नं.–12	प.ह.नं.–12	-	-	-	-	-
13	मुनगाडीह	13	प.ह.नं.–13	-	-	प.ह.नं.–13	-	प.ह.नं.–13	-
14	कोड़ेमरा	14	प.ह.नं.–14	प.ह.नं.–14	-	प.ह.नं.–14	-	प.ह.नं.–14	-
15	दनगढ़	15	प.ह.नं.–15	-	-	-	-	-	-
16	सोमाटोला	16	प.ह.नं.–16	प.ह.नं.–16	-	प.ह.नं.–16	-	प.ह.नं.–16	-
17	बोगाटोला	17	प.ह.नं.–17	-	-	-	-	-	-
18	पिडिंगपार	18	प.ह.नं.–18	प.ह.नं.–18	-	प.ह.नं.–18	-	प.ह.नं.–18	-
19	रेंगाकठेरा	19	प.ह.नं.–19	प.ह.नं.–19	-	प.ह.नं.–19	-	-	-
20	बुदानकट्टा	20	प.ह.नं.–20	प.ह.नं.–20	-	प.ह.नं.–20	-	-	-
21	घावड़ेटोला	21	प.ह.नं.–21	प.ह.नं.–21	-	प.ह.नं.–21	-	प.ह.नं.–21	-
22	गौटाटोला	22	प.ह.नं.–22	प.ह.नं.–22	-	प.ह.नं.–22	-	-	-
23	कंगलूटोला	23	प.ह.नं.–23	प.ह.नं.–23	-	प.ह.नं.–23	-	प.ह.नं.–23	-
24	ककईपार	24	प.ह.नं.–24	-	-	-	-	-	-
25	कुम्हली	25	प.ह.नं.–25	-	-	प.ह.नं.–25	-	प.ह.नं.–25	-
26	शेरपार	26	प.ह.नं.–26	प.ह.नं.–26	-	प.ह.नं.–26	-	-	-
	तहसील–मानपुर, रा.नि.मं.–मानपुर								
1	तेरेगॉव	1	प.ह.नं.–1	-	-	-	-	-	-
2	ढब्बा	2	प.ह.नं.–2	-	-	-	-	-	-
3	ख्वासफड़की	3	प.ह.नं.–3	-	-	-	-	-	-
4	तोलूम	4	प.ह.नं.–4	-	-	-	-	-	-
5	चवेला	5	प.ह.नं.–5	-	-	-	-	-	-
6	घोठिया	6	प.ह.नं.–6	प.ह.नं.–6	-	-	-	-	-
7	हिलचूर	7	प.ह.नं.–7	-	-	-	-	-	-
8	दिघवाड़ी	8	प.ह.नं.–8	-	-	-	-	-	-
9	सरोली	9	प.ह.नं.–9	-	-	-	-	-	-
10	खरदी	10	प.ह.नं.–10	-	-	-	-	-	-
11	कोसमी	11	प.ह.नं.–11	-	-	-	-	-	-
12	बोरियामोकासा	12	प.ह.नं.–12	-	-	-	-	-	-
13	कहगॉव	13	प.ह.नं.–13	-	-	-	-	-	-
14	सिवनी	14	प.ह.नं.–14	-	-	-	-	-	-
15	भर्रीटोला	15	प.ह.नं.–15	-	-	-	-	-	-
16	मानपुर	16	प.ह.नं.–16	-	-	-	-	-	-
17	मरकेली	17	प.ह.नं.–17	प.ह.नं.–17	-	-	-	-	-
18	कोतरी	18	प.ह.नं.–18	प.ह.नं.–18	-	-	-	-	-
19	बसेली	19	प.ह.नं.–19	-	-	-	-	-	-
20	कारेकट्टा	20	प.ह.नं.–20	प.ह.नं.–20	-	-	-	-	-
21	कंदाड़ी	21	प.ह.नं.–21	प.ह.नं.–21	-	-	-	-	-
22	सीतागॉव	22	प.ह.नं.–22	प.ह.नं.–22	-	-	-	-	-
23	पेन्दोड़ी	23	प.ह.नं.–23	-	-	-	-	-	-
24	साल्हेभट्टी	24	प.ह.नं.–24	प.ह.नं.–24	-	-	-	-	-
25	बोड़ेगॉव	25	प.ह.नं.–25	प.ह.नं.–25	-	-	-	-	-
26	नवागॉव	26	प.ह.नं.–26	-	-	-	-	-	-

क्र.	पटवारी हल्का का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिचिंत	मक्का	मूँगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूँग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	कलमीटार	52	प.ह.नं.–52	–	–	–	–	–	–
21	घुटकू	53	प.ह.नं.–53	–	–	प.ह.नं.–53	–	–	–
22	तरकाडीह	54	प.ह.नं.–54	–	–	–	–	–	–
			तहसील–कोटा रा.नि.मं.–कोटा						
1	आमागोहन	1	प.ह.नं.–1	प.ह.नं.–1	–	–	–	–	–
2	खोंगसरा	2	प.ह.नं.–2	प.ह.नं.–2	–	–	–	–	–
3	डांडबछाली	3	प.ह.नं.–3	प.ह.नं.–3	–	–	–	–	–
4	करवा	4	प.ह.नं.–4	प.ह.नं.–4	–	–	–	–	–
5	सोनपुरी	5	प.ह.नं.–5	प.ह.नं.–5	–	–	–	–	–
6	छतौना	8	प.ह.नं.–8	–	–	–	–	–	–
7	उपका	9	प.ह.नं.–9	प.ह.नं.–9		प.ह.नं.–9		–	–
8	कोनचरा	10	प.ह.नं.–10	प.ह.नं.–10	–	–	–	–	–
9	कुरुवार	11	प.ह.नं.–11	–	–	–	–	–	–
10	बेलगहना	12	प.ह.नं.–12	–	–	–	–	–	–
11	उमरिया	13	प.ह.नं.–13	प.ह.नं.–13	–	–	–	–	–
12	मझगॉव	14	प.ह.नं.–14	–	–	–	–	–	–
13	झिगरपुर	21	प.ह.नं.–21	–	–	–	–	–	–
14	नवागॉव	22	प.ह.नं.–22	–	–	–	–	–	–
15	परसदा	23	प.ह.नं.–23	–	–	–	–	–	–
16	पटैटा	24	प.ह.नं.–24	–	–	–	–	–	–
17	मटसगरा	25	प.ह.नं.–25	–	–	–	–	–	–
18	धूमा	26	प.ह.नं.–26	–	–	–	–	–	–
19	कुसमुली	27	प.ह.नं.–27	–	–	–	–	–	–
20	करगीकला	28	प.ह.नं.–28	–	–	–	–	–	–
21	करका	29	प.ह.नं.–29	–	–	–	–	–	–
22	अमने	30	प.ह.नं.–30	–	–	–	–	–	–
23	करगीखुर्द	31	प.ह.नं.–31	–	–	–	–	–	–
24	कलारतराई	32	प.ह.नं.–32	–	–	–	–	–	–
25	कोटा	33	प.ह.नं.–33	–	–	–	–	–	–
			तहसील–कोटा रा.नि.मं.–रतनपुर						
1	केन्दा	6	प.ह.नं.–6	–	–	–	–	–	–
2	सिलपहरी	7	प.ह.नं.–7	–	–	–	–	–	–
3	मंझवानी	15	प.ह.नं.–15	–	–	–	–	–	–
4	बानाबेल	16	प.ह.नं.–16	–	–	–	–	–	–
5	पुडू	17	प.ह.नं.–17	–	–	–	–	–	–
6	तेन्दूभाठा	18	प.ह.नं.–18	–	–	–	–	–	–
7	बारीडीह	19	प.ह.नं.–19	–	–	–	–	–	–
8	चपोरा	20	प.ह.नं.–20	–	–	–	–	–	–
9	जोगीपुर	35	प.ह.नं.–35	–	–	–	–	–	–
10	कलमीटार	36	प.ह.नं.–36	–	–	–	–	–	–
11	रतनपुर	37	प.ह.नं.–37	–	–	–	–	–	–
12	खैरा	38	प.ह.नं.–38	–	–	–	–	–	–
13	बच्छानी	39	प.ह.नं.–39	–	–	–	–	–	–
14	जमुनाही	40	प.ह.नं.–40	–	–	–	–	–	–

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूंगफली	अरहर	सोयाबीन	मूंग	उड़द
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	कोकदार	43	प.ह.नं.–43	-	प.ह.नं.–43	-	-	-	प.ह.नं.–43
17	कीदा	44	प.ह.नं.–44	-	प.ह.नं.–44	-	-	-	प.ह.नं.–44
18	बरबसपुर	45	प.ह.नं.–45	-	प.ह.नं.–45	-	-	-	प.ह.नं.–45
19	धसकामुड़ा	46	प.ह.नं.–46	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–46
20	.कुड़ेकेला	47	प.ह.नं.–47	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–47
21	तरेकेला	48	प.ह.नं.–48	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–48
22	कांसाबहार	49	प.ह.नं.–49	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–49
23	खेदापाली	50	प.ह.नं.–50	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–50
24	कटाईपालीसी	52	प.ह.नं.–52	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–52
25	चन्द्रशेखरपुर	53	प.ह.नं.–53	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–53
तहसील–घरघोड़ा रा.नि.मं.–घरघोड़ा									
1	कोसमघाट	1	प.ह.नं.–1	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–1
2	कुडुमकेला	2	प.ह.नं.–2	-	-	-	-	प.ह.नं.–2	प.ह.नं.–2
3	घरघोड़ी	3	प.ह.नं.–3	-	प.ह.नं.–3	-	-	-	प.ह.नं.–3
4	फगुरम	4	प.ह.नं.–4	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–4
5	कया	5	प.ह.नं.–5	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–5
6	कमतरा	6	प.ह.नं.–6	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–6
7	चिमटापानी	7	प.ह.नं.–7	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–7
8	रैयकेरा	8	प.ह.नं.–8	-	-	प.ह.नं.–8	-	-	प.ह.नं.–8
9	कोटरीमाल	9	प.ह.नं.–9	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–9
10	पोरडा	10	प.ह.नं.–10	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–10
11	रूमकेरा	11	प.ह.नं.–11	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–11
12	टेरम	12	प.ह.नं.–12	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–12
13	झरियापाली	13	प.ह.नं.–13	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–13
14	घरघोड़ा	14	प.ह.नं.–14	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–14
15	बहिरकेला	15	प.ह.नं.–15	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–15
16	बड़ेगुमड़ा	16	प.ह.नं.–16	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–16
17	बैहामुड़ा	17	प.ह.नं.–17	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–17
18	नवापारा टे0	18	प.ह.नं.–18	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–18
19	छर्राटांगर	20	प.ह.नं.–20	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–20
20	अमलीडीह	21	प.ह.नं.–21	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–21
तहसील–सारंगढ़ रा.नि.मं.–हरदी									
1	सिधनपुर	1	प.ह.नं.–1	-	-	-	-	-	-
2	पासीद	2	प.ह.नं.–2	-	प.ह.नं.–2	-	-	-	-
3	कोसीर	3	प.ह.नं.–3	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–3
4	कुम्हारी	4	प.ह.नं.–4	-	-	-	-	-	-
5	दहिदा	5	प.ह.नं.–5	-	-	-	-	-	-
6	जशपुर	6	प.ह.नं.–6	-	-	-	-	-	-
7	रामपुर	7	प.ह.नं.–7	-	-	-	-	-	-
8	बरदुला	8	प.ह.नं.–8	-	-	-	-	-	-
9	मुडवाभाठा	9	प.ह.नं.–9	-	-	-	-	-	-
10	चांटीपाली	10	प.ह.नं.–10	-	-	-	-	-	-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूंगफली	अरहर	सोयाबीन	मूंग	उड़द
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	लेन्धरा	11	प.ह.नं.—11	-	-	-	-	-	-
12	कलमी	12	प.ह.नं.—12	-	-	-	-	-	-
13	परसदा बडे	13	प.ह.नं.—13	-	-	-	-	-	-
14	उलखर	24	प.ह.नं.—24	-	-	-	-	-	-
15	नवरंगपुर	31	प.ह.नं.—31	-	-	-	-	-	-
16	मुडियाडीह	32	प.ह.नं.—32	-	-	-	-	-	-
17	हरदी	33	प.ह.नं.—33	-	प.ह.नं.—33	-	-	-	-
18	भवरादादर	34	प.ह.नं.—34	-	-	-	-	-	-
19	बगबिहार	35	प.ह.नं.—35	-	-	-	-	-	-
20	बरतुंगा	36	प.ह.नं.—36	-	-	-	-	-	-
21	भेडवन	37	प.ह.नं.—37	-	-	-	-	-	-
22	घठुला छोटे	38	प.ह.नं.—38	-	-	-	-	-	-
23	तालदेवरी	39	प.ह.नं.—39	-	-	-	-	-	-
24	ग्वालिनडीह	40	प.ह.नं.—40	-	-	-	-	-	-
25	खुर्सी	41	प.ह.नं.—41	-	-	-	-	-	-
26	ठेलकाभांठा	42	प.ह.नं.—42	-	-	-	-	-	-
27	टिमरलगा	43	प.ह.नं.—43	-	-	-	-	-	-
28	जोगनीपाली	44	प.ह.नं.—44	-	प.ह.नं.—44	-	-	-	-
29	भद्रीउडान	45	प.ह.नं.—45	-	प.ह.नं.—45	-	-	-	-
30	झारमुडा	46	प.ह.नं.—46	-	प.ह.नं.—46	-	-	-	-
तहसील—सारंगढ़ रा.नि.मं.— सारंगढ़									
1	छिन्द	15	—	—	प.ह.नं.—15	-	-	-	-
2	केडार	16	प.ह.नं.—16	-	-	-	-	-	-
3	भडीसार	17	प.ह.नं.—17	-	-	-	-	-	-
4	पुटीया	18	प.ह.नं.—18	-	-	-	-	-	-
5	लीमगांव	19	प.ह.नं.—19	-	-	-	-	-	-
6	कुधरी	20	प.ह.नं.—20	-	-	-	-	-	-
7	रापागुला	21	प.ह.नं.—21	-	प.ह.नं.—21	-	-	-	-
8	गोडिहारी	22	प.ह.नं.—22	-	-	-	-	-	-
9	गाताडीह	23	प.ह.नं.—23	-	-	-	-	-	-
10	रेड़ा	25	प.ह.नं.—25	-	-	प.ह.नं.—25	-	-	-
11	कोतरी	26	प.ह.नं.—26	-	-	-	-	-	-
12	झरपडीह	27	प.ह.नं.—27	-	-	-	-	-	-
13	कमलाझर	29	प.ह.नं.—29	-	-	-	-	-	-
14	अमेटी	30	प.ह.नं.—30	-	प.ह.नं.—30	-	-	-	-
15	माधोपाली	47	प.ह.नं.—47	-	-	-	-	-	-
16	देवसर	48	प.ह.नं.—48	-	-	-	-	-	-
17	गोडा	49	प.ह.नं.—49	-	प.ह.नं.—49	-	-	-	-
18	आमाकोनी	50	प.ह.नं.—50	-	-	-	-	-	-
19	सालर	51	प.ह.नं.—51	-	प.ह.नं.—51	-	-	-	-
20	कोर्रापानी	52	प.ह.नं.—52	-	-	-	-	-	-
21	कपरतुंगा	53	प.ह.नं.—53	-	प.ह.नं.—53	-	-	-	-
22	छातादेई	54	प.ह.नं.—54	-	-	-	-	-	-
23	अचानकपाली	55	प.ह.नं.—55	-	-	-	-	-	-
24	दबगांव	56	प.ह.नं.—56	-	-	-	-	-	-

जिला–सुकमा

	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खरीफ						
			धान असिंचित	मक्का	मूँगफली	अरहर	सोयाबीन	उड़द	मूंग
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			तहसील–सुकमा रा.नि.मं.–सुकमा						
1	सिरसट्टी	9	प.ह.नं.–9	प.ह.नं.–9	-	-	-	-	-
2	फुलबगड़ी	10	प.ह.नं.–10	प.ह.नं.–10	-	-	-	-	प.ह.नं.–10
3	गोलाबेकूर	11	प.ह.नं.–11	प.ह.नं.–11	-	-	-	-	-
4	जिरमपाल	12	प.ह.नं.–12	प.ह.नं.–12	-	-	-	-	प.ह.नं.–12
5	सुकमा	13	प.ह.नं.–13	प.ह.नं.–13	-	-	-	-	-
6	बुड़दी	14	प.ह.नं.–14	प.ह.नं.–14	-	-	-	प.ह.नं.–14	प.ह.नं.–14
7	झापरा	15	प.ह.नं.–15	प.ह.नं.–15	-	-	-	-	-
8	रामाराम	16	प.ह.नं.–16	प.ह.नं.–16	-	-	-	-	-
9	केरलापाल	17	प.ह.नं.–17	-	-	-	-	-	प.ह.नं.–17
			तहसील–सुकमा रा.नि.मं.–गादीरास						
1	चेंगावरम	1	प.ह.नं.–1	प.ह.नं.–1	–	–	–	–	–
2	कोर्रा	2	प.ह.नं.–2	प.ह.नं.–2	–	–	–	–	–
3	सोनाकुकानार	3	प.ह.नं.–3	प.ह.नं.–3	–	–	–	–	–
4	गादीरास	4	प.ह.नं.–4	प.ह.नं.–4	–	–	–	–	–
5	कोंडरे	5	प.ह.नं.–5	प.ह.नं.–5	–	–	–	–	–
6	मानकापाल	6	प.ह.नं.–6	प.ह.नं.–6	–	–	–	–	–
7	गोंदपल्ली	7	प.ह.नं.–7	प.ह.नं.–7	–	–	–	–	–
8	बड़ेसट्टी	8	प.ह.नं.–8	प.ह.नं.–8	–	–	–	–	–
			तहसील–छिंदगढ़ रा.नि.मं.–छिंदगढ़						
1	अतकारीरास	7	प.ह.नं.–7	प.ह.नं.–7	–	–	–	–	–
2	कांजीपानी	8	प.ह.नं.–8	प.ह.नं.–8	–	प.ह.नं.–8	–	–	–
3	चिपुरपाल	9	प.ह.नं.–9	प.ह.नं.–9	–	–	–	–	–
4	बकुलाघाट	10	प.ह.नं.–10	प.ह.नं.–10	–	–	–	–	–
5	गुडरा	11	प.ह.नं.–11	प.ह.नं.–11	–	–	–	–	प.ह.नं.–11
6	उरमापाल	12	प.ह.नं.–12	प.ह.नं.–12	–	–	–	–	–
7	किंदरवाडा	17	प.ह.नं.–17	प.ह.नं.–17	–	–	–	–	–
8	ओलेर	18	प.ह.नं.–18	प.ह.नं.–18	–	–	–	–	–
9	सीतापाल	19	प.ह.नं.–19	प.ह.नं.–19	–	–	–	–	–
10	कोडरीपाल	20	प.ह.नं.–20	प.ह.नं.–20	–	–	–	–	–
			तहसील–छिंदगढ़ रा.नि.मं.–तोंगापाल						
1	कुन्ना	1	प.ह.नं.–1	प.ह.नं.–1	–	–	–	–	–
2	डब्बा	2	प.ह.नं.–2	प.ह.नं.–2	–	–	–	प.ह.नं.–2	–
3	चुलेरास	3	प.ह.नं.–3	प.ह.नं.–3	–	–	–	–	–
4	मिचवार	4	प.ह.नं.–4	प.ह.नं.–4	–	–	–	–	–
5	गोरली	5	प.ह.नं.–5	प.ह.नं.–5	–	–	–	–	प.ह.नं.–5
6	इरपा	6	प.ह.नं.–6	प.ह.नं.–6	–	प.ह.नं.–6	–	–	–
7	कावराकोपा	13	प.ह.नं.–13	प.ह.नं.–13	–	–	–	–	–
8	पेरमारास	14	प.ह.नं.–14	प.ह.नं.–14	–	–	–	–	–
9	चिड़पाल	15	प.ह.नं.–15	प.ह.नं.–15	–	–	–	–	–
10	कुमाकोलेंग	16	प.ह.नं.–16	प.ह.नं.–16	–	–	–	–	–

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2015

क्रमांक/3469/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कौरिनभांठा प.ह.नं. 24	520	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव.	बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 8 जुलाई 2015

क्रमांक/18/अ-82/भू-अर्जन/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	नवागढ़	पौंसरी प.ह.नं. 43	1.34	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बेमेतरा.	तुलसी-पौंसरी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित ग्राम-पौंसरी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 8 जुलाई 2015

क्रमांक/19/अ-82/भू-अर्जन/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	रामपुर प.ह.नं. 12	0.30	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बेमेतरा.	गोपालभोईना - सुरकी मार्ग पर हाफ नदी पर पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित ग्राम-रामपुर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक 06/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	गौरेला	सारबहरा प.ह.नं. 20	2.460	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, बिलासपुर.	हावड़ा - बिलासपुर - कटनी रेलमार्ग के किमी. 817/1011 पर गौरेला के पास रेल्वे ओव्हर ब्रीज निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक 16/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	गौरेला	पतेराटोला प.ह.नं. 19	2.654	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सड़क निर्माण कार्य गौरेला बायपास मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक 17/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	गौरेला	टीकरकला प.ह.नं. 19	1.037	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सड़क निर्माण कार्य गौरेला बायपास मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक 18/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	गौरेला	गोरखपुर प.ह.नं. 10	0.949	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सड़क निर्माण कार्य गौरेला बायपास मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक 19/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	गौरेला	अंजनी प.ह.नं. 13	1.186	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सड़क निर्माण कार्य गौरेला बायपास मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2015

क्रमांक 32/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खरगहनी प.ह.नं. 35	0.936	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	लमेर नाला एनीकेट सह रपटा एवं डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त, 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तिलगा प.ह.नं. 34	3.680	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सपनई बैराज प्रथम चरण योजना के नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त, 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भगोरा प.ह.नं. 35	4.398	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सपनई बैराज प्रथम चरण योजना के नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त, 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बहेरामुड़ा प.ह.नं. 32	6.942	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग, क्रमांक 01, खरसिया.	बहेरामुड़ा एनीकट योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	तोकापाल	केशलूर प.ह.नं. 10	0.06	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे डी. आर. एस. आफिस काम्पलेक्स डोन्डापरती विशाखापटनम 530004 (A.P.).	जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन बिछाने हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	तोकापाल	मण्डवा प.ह.नं. 15	0.44	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे डी. आर. एस. आफिस काम्पलेक्स डोन्डापरती विशाखापटनम 530004 (A.P.).	जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन बिछाने हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	तोकापाल	मावलीभाटा प.ह.नं. 15	0.45	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे डी. आर. एस. आफिस काम्पलेक्स डोन्डापरती विशाखापटनम 530004 (A.P.).	जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन बिछाने हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 जुलाई 2015

क्रमांक/4178/अ-82/भू-अर्जन/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-खैरागढ़
   (ग) नगर/ग्राम-सनडोंगरी, प.ह.नं. 09
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-04.88 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	6	0.53
	7	0.38
	8/3	0.33
	16/3	0.15
	16/5	0.14
	130	0.93
	129	0.46
	133/1	0.23
	133/3	0.22
	133/2	0.20
	145	0.62
	140	0.69
योग	12	04.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानपाठ बैराज योजना अंतर्गत सनडोंगरी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक/4447/अ-82/भू-अर्जन/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-डोंगरगांव
  (ग) नगर/ग्राम-रेंगाकठेरा, प.ह.नं. 14
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	441	0.036
योग	1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला उच्च स्तरीय पूल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक/4448/अ-82/भू-अर्जन/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-छुरिया
  (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प.ह.नं. 28
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	370	0.020
	371	0.081
	372	0.077
	373/1	0.044
	373/2	0.057
योग	5	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पांगरी-देवरी मार्ग के शिवनाथ नदी पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 24 जुलाई 2015

क्रमांक/4747/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
  (ख) तहसील-चारामा
  (ग) नगर/ग्राम-लखनपुरी
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-53.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
709/1	0.44
709/2	0.43
709/3	0.44
709/4	0.44
709/5	0.44
709/6	0.44
710	1.07
711	0.60
713	0.74
714	0.75
715	0.74
716	0.10
756/1	0.09
757	0.18
717	0.10
755	0.17
718/1	0.17
718/2	0.19
719	0.81
720/1	0.15
720/2	0.15
720/3	0.15
721	0.50
722	0.73
723	2.14
724	1.13
725/1	0.03
738/1	0.41
766/1	0.27
725/2	0.04
738/2	0.45
766/2	0.37
725/3	0.03
738/3	0.45
766/3	0.43
726	0.82
731	0.36
727	3.97
728	2.57
729	1.03
730	1.09
732	0.88
709/817	0.98
733/1	0.19
733/2	0.19
734	0.43
735	0.38
736	0.38
761	0.54
737/1	0.09
737/2	0.16
739/1	0.18
739/2	0.18
741/1	0.39
741/3	0.20
741/4	0.20
741/2	0.04
742	0.39
743/1	0.13
743/2	0.13
743/3	0.13
744	0.39
745/1	0.34
745/2	0.39
746	1.27
747	0.34
748	0.34
749/1	0.16
749/2	0.17
750	0.33
751	0.75
752	0.76
753	1.15
754	0.48
756/2	0.09
758	0.60
762	1.88
763	0.14
765	0.32
768	0.35
759	0.18
760	0.18
767	2.10
808/1	0.43
808/2	0.55
810	0.86

	(1)	(2)
	811	0.98
	812	1.21
	806/1	0.51
	807/1	1.94
	807/2	1.95
योग	91	53.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/3177.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2012-13/4565-66 रायपुर, दिनांक 11-10-2012 द्वारा उप संचालक कांकेर, को कृषि उपज मंडी समिति कांकेर जिला-उ.ब.कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-उ.ब.कांकेर का पत्र क्रमांक 4565-A/कले./व.लि.-2/7/2011 दिनांक 16-07-2015 द्वारा सुश्री रेणुका श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति कांकेर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, उप संचालक कृषि कांकेर के स्थान पर सुश्री रेणुका श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर जिला-उ.ब.कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/3179.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2014-15/3315-16 रायपुर, दिनांक 25-09-2014 द्वारा सुश्री स्वाति श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 4850/537/अ.अ.ऊ.शा./2015-16 दिनांक 07-07-2015 द्वारा श्री अभिषेक अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सुश्री स्वाति श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अभिषेक अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरायपाली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/3430.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2015-16/428-429 रायपुर, दिनांक 21-04-2015 द्वारा श्री अरूण कुमार मरकाम डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार राजिम को कृषि उपज मंडी समिति राजिम, जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त कलेक्टर गरियाबंद जिला-गरियाबंद का ज्ञापन क्रमांक 3168/अधी./2015/दिनांक 17-07-2015 द्वारा श्री उमेश कुमार साहू तहसीलदार राजिम के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अरूण कुमार मरकाम डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार राजिम के स्थान पर श्री उमेश कुमार साहू तहसीलदार राजिम को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति राजिम जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कार्यालय, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 25 जून 2015

क्रमांक/795/नग्रानि/वि.यो.-2015.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में चारामा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 505/नग्रानि/2015 दिनांक 18-02-2015 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन चारामा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

चारामा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कन्डेल, माहुद एवं भेलाई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम भेलाई, तेलगुड़ा, भिरौद, कर्राजैसा, सिरसिदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कर्राजैसा, सिरसिदा, गिरहोला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम सिरसिदा, दरगहन, चारामा, गिरहोला, कन्डेल एवं माहुद ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, नगर पंचायत, चारामा.

No. /795/T.C.P./2015.—The existing land use map and register for the Charama planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam (No. 23 of 1973) vide notice No. 505/T.C.P./2015 Kanker, dated 10-02-2015.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map and register of Charama planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of Charama Planning Area

NORTH	:	Village Kandel and Mahud upto Northern limit of Village.
EAST	:	Village Bhelai Telguda, Birod, Karrajaisa upto the Eastern limit of Village.
SOUTH	:	Village Karrajaisa, Sirsida and Girhola upto Southern limit of Village.
WEST	:	Village Sirsida, Dargahan, Charama, Girhola, Kandel & upto the Western limit of Village Mahud.

The said adopted maps and register shall be available for inspection or general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Office of the Nagar Panchayat, Charama.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड
मकान नं. 7, कैलाश रेसीडेंसी, गीतांजली नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक/मा.क.बो./2015-16/149.—मैं अजय पाल सिंह, आई.ए.एस. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड रायपुर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक ई 7-10/2005/1/2, दिनांक 29-04-2015 अनुसार दिनांक 21-04-2015 से दिनांक 26-07-2015 तक अर्जित अवकाश का उपभोग कर आज दिनांक 27-07-2015 को पूर्वान्ह अपने कार्य पर उपस्थित हो गया हूं.

अजय पाल सिंह (IAS)
अध्यक्ष सह-प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd July 2015

No. 704/L.G./2015/II-3-4/2010.—Smt. Rajni Dube, the then District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is hereby granted earned leave for 09 days from 20-04-2015 to 28-04-2015 along with permission to leave headquarters from 19-04-2015 to 28-04-2015, commuted leave for 20 days from 15-06-2015 to 04-07-2015 along with permission to leave headquarters and earned leave for 03 days from 05-07-2015 to 07-07-2015 in continuation of commuted leave.

During the period of earned leave & commuted leave as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dube, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 115 days of earned leave and 247 days of half-pay-leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd July 2015

No. 705/L.G./2015/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi the then Judge, Family Court, Korba is hereby, granted earned leave for 04 days from 16-06-2015 to 19-06-2015 along with permission to remain out of headquarters from 16-06-2015 to 21-06-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd July 2015

No. 706/L.G./2015/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, Judge, Family Court, Manendragarh, District Koriya is hereby granted earned leave for 07 days from 01-06-2015 to 07-06-2015 along with permission to leave headquarters from 31-05-2015 to 07-06-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 296 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd July 2015

No. 707/L.G./2015/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 39 days from 02-06-2015 to 10-07-2015 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 270 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd July 2015

No. 708/L.G./2015/II-3-35/2008.—Shri Sypriel Xess ,the then District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 05 days from 13-04-2015 to 17-04-2015 along with permission to leave headquarters from 12-04-2015 to 18-04-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Xess, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd July 2015

No. 709/L.G./2015/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, Judge, Family Court, Dhamtari is hereby granted earned leave for 08 days from 02-07-2015 to 09-07-2015 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 01-07-2015 till before the Court hours of 10-07-2015.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 175 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd July 2015

No. 711/L.G./2015/II-3-10/2007.—Shri Sharad Kumar Gupta, Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 03 days from 13-07-2015 to 15-07-2015 along with permission to leave headquarters from 13-07-2015 to 15-07-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 277 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).